हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 7 मार्च, 2011

संख्या : वि0 स0 (विधायन) विधेयक/1–11/2011.––हिमाचल प्रदेश विद्युत (उत्पादन कराधान) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 13) जो आज दिनांक 7 अप्रैल, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

2011 का विधेयक संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश विद्युत (उत्पादन कराधान) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन पर कर उद्‌गृहीत करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः––

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.––(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत (उत्पादन कराधान) अधिनियम, 2011 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.––इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरूद्ध न हो,––

(क) ''सक्षम प्राधिकारी'' से इस अधिनियम की धारा 7 के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) ''ऊर्जा'' से जल विद्युत ऊर्जा अभिप्रेत है;

(ग) ''उत्पादन कम्पनी'' से अभिप्रेत है कोई कम्पनी या निगमित निकाय या संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या कृत्रिम विधिक व्यक्ति जो ऊर्जा का उत्पादन करता है;

(घ) ''मीटर'' से ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त साधित्र या यन्त्र अभिप्रेत है;

(ङ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(च) ''कर'' से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन उदगृहीत कर अभिप्रेत है; और

(छ) ''यूनिट'' से ऊर्जा के सम्बन्ध में किलोवाट– घंटा अभिप्रेत है;

3. ऊर्जा उत्पादन पर कर का उद्‌ग्रहरण.––(1) हिमाचल प्रदेश राज्य में उत्पादित ऊर्जा पर, ''विद्युत उत्पादन कर'' के नाम से ज्ञात कर, ऊर्जा की प्रति यूनिट पर पच्चीस पैसे की दर से विहित रीति में उद्‌गृहीत किया जाएगा और सरकार को संदत्त किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) की कोई भी बात ऊर्जा के उत्पादन के लिए उत्पादन स्टेशनों द्वारा उपभुक्त ऊर्जा पर लागू नहीं होगी।

(3) इस धारा के अधीन कर की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से आरम्भ होने वाले मीटरों द्वारा दर्शाए ऊर्जा उत्पादन को हिसाब में लिया जाएगा।

4. कर का संग्रहण और संदाय.––इस अधिनियम के अधीन उद्‌गृहीत कर, उत्पादन कम्पनी के किसी अन्य अधिकारी द्वारा जिसे इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, विहित रीति में संगृहीत किया जाएगा और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा।

5. अभिलेख और विवरणियां.––(1) यदि राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निदेश दे, तो प्रत्येक उत्पादन कम्पनी जो इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय के लिए दायी है, ऐसे अभिलेखों को, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में रखेगी जो विहित की जाए, जिसमें निम्नलिखित दर्शाया जाएगा––

(क) उत्पादित या उत्पन्न की गई ऊर्जा की यूनिटें;

(ख) उन पर संदेय कर की रकम;

(ग) इस अधिनियम के अधीन संदत्त कर की रकम; और

(घ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं।

(2) प्रत्येक उत्पादन कम्पनी जिसे उपधारा (1) के अधीन अभिलेख रखने के लिए निदेश दिया गया है, ऐसी विवरणियों को ऐसे प्ररूप और रीति में और राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी को प्रस्तुत करेगी जैसा विहित किया जाए।

6. निरीक्षण अधिकारी.––(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 5 के अधीन रखे गए अभिलेख के निरीक्षण के लिए निरीक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

(2) निरीक्षण अधिकारी, इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जैसी विहित की जाएं।

(3) इस धारा के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक निरीक्षण अधिकारी भारतीय दण्ड सहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।

7. कतिपय मामलों में शास्तिक कर और ब्याज का संदाय किया जाना.––(1) यदि सक्षम प्राधिकारी की राय में कोई भी उत्पादन कम्पनी चाहे मिथ्या अभिलेख रखकर, मिथ्या विवरणियां प्रस्तुत करके, उत्पादित ऊर्जा को छिपाकर या किसी अन्य साधन द्वारा कर के संदाय का अपवंचन करती है या अपवंचन करने का प्रयास करती है, तो ऐसी कम्पनी इस अधिनियम के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त शास्ति के रूप में कर की राशि के चार गुणा से अनधिक ऐसी रकम संदत्त करेगी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए:

परन्तु यदि कम्पनी सक्षम अधिकारी द्वारा अवधारित समय सीमा के भीतर कर और शास्ति का संदाय करने में असफल रहती है तो यह विलम्ब के लिए भारतीय स्टेट बैक की पी.एल.आर की दर पर और ब्याज संदत्त करने के लिए दायी होगी:

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोई भी कार्रवाई ऐसी कम्पनी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना नहीं की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश के विरूद्ध अपील, ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, की जाएगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन अपील में पारित आदेश अंतिम और आबद्धकर होगा।

(4) इस धारा के अधीन शास्ति या ब्याज के संदाय के लिए किया गया आदेश इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए संस्थित या संस्थित किए जाने वाले किसी अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

8. कर की वसूली.–– इस अधिनियम के अधीन कोई कर या धारा 7 के अधीन अधिरोपित शास्ति या ब्याज जो उत्पादन कम्पनी द्वारा राज्य सरकार को असंदत्त रहता है, भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

9. शास्तियां.––यदि कोई उत्पादन कम्पनी,–

(क) जिससे धारा 5 के अधीन अभिलेख रखना या विवरणियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है, उन्हें विहित प्ररूप या रीति में रखने या प्रस्तुत करने में असफल रहती है या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करती है जो मिथ्या है; या

(ख) धारा 6 के अधीन नियुक्त किसी निरीक्षण अधिकारी को इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और कर्त्तव्यों के पालन में साशय बाधा पहुँचाती है; या

(ग) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी अन्य उपबन्ध का उल्लंघन करती है,

तो यह जुर्माना, जो पांच लाख रूपए से अधिक नहीं होगा और पश्चात्वर्ती किसी उल्लंघन के लिए जुर्माना, जो दस लाख रूपए से अधिक नहीं होगा संदत्त करने के लिए दायी होगी।

10. कर की दर का पुनरीक्षण करने की शक्ति.––राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा धारा 3 के अधीन उद्गृहीत कर की दरों को पुनरीक्षित कर सकेगीः

परन्तु कर की ऐसी दरों में भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना वृद्धि नहीं की जाएगी।

11. नियम बनाने की शक्ति.––(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे,–

(क) धारा 3 के अधीन कर के संदाय की रीति;

(ख) कर के संग्रहण और राज्य सरकार को उसके संदाय की रीति;

(ग) उत्पादन कम्पनीं द्वारा कर के संदाय का समय और रीति;

(घ) निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और पालन किए जाने वाले कर्त्तव्य; और

(ङ) कोई अन्य विषय, जिसके लिए राज्य सरकार की राय में, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम आवश्यक हैं।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है, या पूर्वोक्त सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है या विर्निश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो नियम तत्पश्चात् ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान से पूर्व विधान सभा यह विनिष्चय करती है कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उनके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के शीघ्र निष्पादन के लिए आवश्यक अतिरिक्त संसाधनों के अभाव में, हमारे विकासात्मक क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संम्भाव्य है। इसलिए अतिरिक्त संसाधनों को संचारित करने के लिए राज्य में जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन पर कर उद्गृहीत करना प्रस्तावित किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख :....., 2011

————————

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 3 के अधीन प्रस्तावित कर से लगभग 675 करोड़ रूपए की वार्षिक आय प्राप्त होगी और यह तद्नुसार भविष्य में विद्युत के अधिकतर उत्पादन के लिए अधिकतर होगी। कर की वसूली में लगभग 15.00 लाख रूपए की रकम अनावर्ती और 1.00 लाख रुपए की रकम आवर्ती व्यय के रूप में उपगत किए जाने हेतु अनुमानित है।

————————————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 11 उसमें वर्णित विषयों और अन्य विषयों की बाबत जिसके लिए विधेयक के उपबन्धों को प्रभावी करने के प्रयोजन से उपबन्ध करना आवश्यक और समीचीन है, नियम बनाने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करता है। यह प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

————————

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्याः एम.पी.पी.–सी(4)–1/92–IV)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विद्युत (उत्पादन कराधान) विधेयक, 2011 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 13 2011

THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (TAXATION ON GENERATION) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to levy tax on the generation of hydro-electric energy in Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-Second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title extent and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Electricity (Taxation on Generation) Act, 2011.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) "competent authority" means the authority appointed by the State Government for the purposes of section 7 of this Act;

(b) "energy" means hydro-electric energy;

(c) "generating company" means any company or body corporate or association or body of individuals, whether incorporated or not, or artificial juridical person, which generates energy;

(d) "meter" means an appliance or apparatus used for measuring the energy;

(e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(f) "tax" means the tax levied under section 3 of this Act; and "unit" in relation to the energy means Kilowatt-hour.

3. Levy of tax on generation of energy.—(1) There shall be levied and paid to the State Government on the energy generated in the State of Himachal Pradesh, a tax to be called the "Electricity generation tax" in the prescribed manner, at the rate of 25 paise per unit of energy.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to the energy consumed at the generating stations for generation of energy.

(3) For the purpose of computing the tax under this section, the generation of energy shown by the meters starting from the date of commencement of this Act shall be taken into account.

4. Collection and payment of tax.—The tax levied under this Act, shall, in the prescribed manner, be collected from generating company by any officer who may be authorized in this behalf and be paid to the State Government.

5. Records returns.—(1) If the State Government so directs by a general or a special order, every generating company which is liable to pay the tax under this Act, shall maintain such records in such form and manner as may be prescribed, showing.—

(a) the units of energy generated or produced;

(b) the amount of tax payable thereon;

(c) the amount of tax paid under this Act; and

(d) such other particulars as may be prescribed.

(2) Every generating company which has been directed under sub-section(1) to maintain records shall submit such returns, in such form and manner, and to such officer of the State Government, as may be prescribed.

6. Inspecting officers.—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint Inspecting Officers to inspect records maintained under section 5.

(2) The Inspecting Officers shall perform such duties and exercise such powers as may be prescribed for the purposes of carrying into effect the provisions of this Act and the rules made thereunder.

(3) Every Inspecting Officer appointed under this section shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

7. Penal tax to be paid in certain cases.—(1) If in the opinion of the competent authority any generating company evades or attempts to evade the payment of tax, whether by maintaining false records, submitting false returns, concealing the energy generated or by any other means such company shall pay by way of penalty in addition to the tax payable under this Act, a sum not exceeding four times the amount of the tax, to be determined by the competent authority;

Provided that if the company fails to pay tax and penalty within the time frame determined by the competent authority, it shall be further liable to pay interest on account of delay at the rate of PLR of State Bank of India;

Provided further that no action under this sub-section shall be taken without affording a reasonable opportunity of being heard to such a company;

(2) An appeal shall lie against an order passed under sub- section (1) to such authority, within such period and on payment of such fees, as may be prescribed.

(3) An order passed on appeal under sub-section (2) shall be final and binding.

(4) An order for the payment of any penalty made under this action shall be without prejudice to any prosecution instituted or which may be instituted for an offence under this Act.

8. Recovery of tax.—Any tax under this Act or penalty imposed under section 7 which remains unpaid by a generating company to the State Government, shall be recoverable as an arrear of land revenue.

9. Penalties.—If any generating company.—

(a) required by section 5 to keep records or to submit returns fails to keep or submit the same in the prescribed form or manner or submits a return which is false; or

(b) intentionally obstructs an Inspecting Officer appointed under section 6 in the exercise of his powers and duties under this Act and the rules made thereunder; or

(c) contravenes any other provision of this Act or the rules made thereunder, it shall be liable to a fine not exceeding five lakh rupees and for any subsequent contravention, a fine not exceeding ten lakh rupees.

10. Power to revise rate of tax.—The State Government may, by notification, revise the rates of tax levied under section 3; provided that such rates of tax shall not be enhanced without the previous consent of the President of India.

11. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification, make rules for the purposes of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the fore-going power, such rules may provide for;

(a) the manner of payment of the tax under section 3;

(b) the manner of collection and payment of tax to the State Government;

(c) the time and manner of payment of the tax by the generating company,

(d) the powers and duties to be exercised and performed by Inspecting Officers; and

(e) any other matter for which, in the opinion of the State Government, rules are necessary for giving effect to the provisions of this Act.

(3) every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the sessions aforesaid, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the absence of additional resources, necessary for speedy execution of various development programmes, our developmental activities are likely to be adversely affected. Thus in order to mobilize additional resources, it has been proposed to levy a tax on the generation of the hydro-electric energy in this State.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objects.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SHIMLA:
Dated: .....2011.

FINANCIAL MEMORANDUM

The tax proposed under clause 3 of the Bill will yield an income of about Rs. 675 crore annually and would be accordingly be higher for higher generation of power in future. In realizing the tax a sum of about Rs. 15.00 lakhs as non recurring and Rs. 1.00 lakh as recurring expenditure is estimated to be incurred.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 11 of this Bill empowers that State Government to make rules in respect of the matters enumerated therein and other matters for which provision is necessary and expedient for the purpose of giving effect to the provisions of the Bill. This delegation is essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSITUTUION OF INDIA

(File No. MPP-C (4)-1/92-IV)

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Electricity (Taxation on Generation) Bill, 2011, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.